OFFICE OF THE PRINCIPAL,
JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE,

Sukhraj Rai Path, Naulakkha Kothi, Bhagalpur-812001 (BIHAR)

(An Institution of Govt. of Bihar)

(Recognised by Medical Council of India, New Delhi) Established in 1970

Mob. No. : +91 9470003142
Phone No. : 0641-2401078
Write us : principal.jlnmc@rediffmail.com
Visit us : www.jlnmcbgp.org

Letter no. ..../ **Bhagalpur, Date ....**

प्राचार्य कार्यालय
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
भागलपुर

निविदा की शर्तें (वित्तीय वर्ष 2020–21)

01. निविदा के साथ अग्रधन की राशि मशीन एवं उपकरण तथा मेडिकल बुक एवं जर्नल्स के लिए 25000/– तथा शेष दवा रसाय, लेखन एवं विविध सामग्री, फर्नीचर आदि हेतु अलग–अलग 5000/–रू0 का किसी राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा का दर अनुमोदित होने पर अग्रधन की राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात वापस किया जायेगा।

02. निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर निबंधित/स्पीड पोस्ट से हीं निविदा भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अंतिम दिन अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्यदिवस अंतिम दिवस होगा।

03. निविदा दो प्रतियों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे पर क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिखा आवश्यक होगा। मशीन उपकरण हेतु कंपनी द्वारा Authorization Letter तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

04. निविदा के साथ संलग्न सूची के क्रमानुसार हीं कंप्यूटराईज टंकित प्रति की हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी तथा सी0डी0 देना अनिवार्य होगा। **(नोटः– निविदा कंप्यूटरीकृत Excel Format में देना अनिवार्य होगा)।**

05. तकनीकी निविदा के साथ समानों का नाम (मेक सहित पूर्ण विवरण के साथ) प्रतिष्ठान निबंधन, आयकर विभाग से प्राप्त पैन नं0 की छायाप्रति एवं अद्यतन क्लियरेंस प्रमाण पत्र तथा बिक्री कर निबंधन (C-1) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. वित्तीय निविदा में बिक्री कर एवं अन्य कर तथा सामग्रियों को संस्थान पहुँचाने का भाड़ा सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का अन्य कर अलग से देय नहीं होगा।

07. वित्तीय निविदा में जिन समानों का दर अंकित किया जाना है उन समानों का दर के साथ कंपनी का मेक स्पष्ट होना चाहिए। सरकार के निदेशानुसार टैक्स की कटौती संवेदक की विपत्र से की जायेगी।

08. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/क्रय समिति को सुरक्षित होगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि केवल न्यूनतम दर वाले निविदा को हीं स्वीकार किया जाय, क्रय समिति को गुणवत्ता के आधार पर दर के अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा।

09. मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स के आपूर्तिकर्त्ता को जी0ओ0सी0 का सदस्य होना अनिवार्य होगा। अधिकतम छूट देने वाले निविदा दाता को प्राथमिकता दी जायेगी। आपूर्तिकर्त्ता को मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स की आपूर्ति महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में करना होगा इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम अथवा अलग किसी प्रकार का राशि देय नहीं होगा। वित्तीय निविदा मशीन उपकरण, दवा रसायन, आदि का दर बाजार मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा निविदा अस्वीकृत मानी जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

10. निविदा दताओं को निविदा की शर्तें एवं समानों की सूची प्रति सूची 1000/– रू0 की दर से बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से आवेदन के साथ जमा कर कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा मेडिकल कॉलेज के बेवसाईट **www.jlnmcbgp.org** से डाउनलोड किया जा सकता है जिसके लिए 1000/– रू0 का डी0डी0 अलग–अलग तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह राशि नन–रिफेन्डेबूल होगा।

11. आपूर्तिकर्त्ता को क्रयादेश निर्गत तिथ से अधिकतम 30 दिनों के अंदर मशीन उपकरण, दवा रसायन, लेखन एवं विविध सामग्री आदि की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा दूसरे आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।

12. निविदा स्वीकृति के उपरांत सामग्रियों की आपूर्ति एवं उसकी गुणवत्ता की जाँच के उपरांत सही पाये जाने पर हीं राशि की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

13. किसी भी एक मशीन उपकरण का कीमत पाँच लाख रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की विविद की स्थिति में उसका न्यायालय क्षेत्र भागलपुर न्यायालय होगा।

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर

14/06/2020